उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक **वरनावास मुण्डा वगै0**

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129) **बनाम**

हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली0

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–23/**2021–22**

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री वरनावास मुण्डा पिता–स्व0 बरतिया मुण्डा

2 मो0 स्टेला चौरांठ पति–स्व0 झमन मुण्डा

3 प्रीतम खुसर पिता–स्व0 झमन मुण्डा

4 अनुराग मुण्डा (अवयस्क) पिता– स्व0 झमन मुण्डा

सभी ग्राम– कथुपानी थाना– विशुनपुर जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि **को हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली0** लोहरदगा जिला– लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया हैं :–

क्र0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	गुरदरी	40	99	81(P)	2.00
				82(P)	0.10
	कुल			02	2.10

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी विशुनपुर से स्थलीय जॉच कर तीन बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो निम्नवत हैः–

1 अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बॉक्साईड खनन क्षेत्र के अगल बगल के रैयत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगें।

2 खनन हेतु प्रस्तावित भूमि के चौहदीदारों का कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नही है, परन्तु उनका NOC भी प्राप्त नही है।

3 कम्पनी के द्वारा जहॉ खनन का कार्य किया जाएगा वहा कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार का सामुदायिक हित में Noble Work करने का कोई प्रस्ताव अंचल कार्यालय को प्राप्त नही है।

अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि प्रस्तावित भूमि के 100 मीटर के भीतर बसाव है तथा उक्त भूमि पर खनन कार्य नही किया गया है। खनन कार्य होने पर स्वास्थ्य पर पर असर पड़ने की सम्भावना प्रबल है।

अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लीज अनुमति नही देने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी विशुनपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.29 12:52:28 +05:30
Location: 192.168.1.49